न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/ 2023
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2023/29

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्रीमती कोदरी बेवा स्व.दुर्गाशंकर निवासी निचला घंटाला, तहसील बांसवाडा
2. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व.दुर्गाशंकर निवासी निचला घंटाला, तहसील बांसवाडा
3. श्रीमती लक्ष्मी बेवा स्व.श्री मंशाराम निवासी निचला घंटाला, तहसील बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री महादेवजी घंटालेश्वर जी (माफी मंदिर) नाबालिग जरिये संरक्षक तहसीलदार वांसवाडा जिला बांसवाडा
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील बांसवाडा
3. श्री मुकेश गुर्जर पिता श्री गेबीलाल गुर्जर निवासी निचला घंटाला हाल निवास गणेश दुध डेयरी, हाउसिंग बोर्ड, बांसवाडा

उपस्थित

श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट

श्री हिरालाल जैन अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 3
श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 08/08/2024

अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेंट सं. 3 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा को इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त सर्वे नंबर 399, सर्वे नंबर 403, सर्वे नंबर 400, सर्वे नंबर 401, सर्वे नंबर 405, सर्वे नंबर 410, सर्वे नंबर 521, सर्वे नंबर 840, सर्वे नंबर 844 एवं सर्वे नंबर 848 वाके ग्राम निचला घंटाला पटवार मंडल निचला घंटाला तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है, को घंटालेश्वर महादेव मंदिर के नाम जमीन करने प्रस्तुत किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय को जरिये पत्र क्रमांक भू.आ./ 2022/ 3585–87 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा भिजवाया गया तथा उक्त प्रकरण दर्ज कर जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3/(2) राज–6 /2007/ पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 की पालना में ग्राम निचला घंटाला के आराजी सर्वे नंबर 400, सर्वे नंबर 401, सर्वे नंबर 841, सर्वे नंबर 844 एवं सर्वे नंबर 848 को श्री महादेवजी घंटालेश्वर (माफी मंदिर) के नाम दर्ज करने आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

पारित कर दिए तथा प्रकरण में अपीलांट्स को सुने विना एक पक्षीय आदेश पारित किया है। यह अपील आदेश क्रमांक भू.अ./ 2022/ 5602–04 दिनांक 21.10.2022 न्यायालय तहसीलदार तहसील बांसवाडा के द्वारा पारित एवं नामान्तरकरण संख्या 1195 दिनांक 13.10.2022 के विरुद्ध यह अपील पेश हुई है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 16.02.2023 को रेस्पोडेंट्स को जारी नोटिस वाद तामिल पेश हुए। रेस्पोडेंट्स सं. 3 की ओर से श्री हिरालाल जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।

दिनांक 21.04.2023 को तहसीलदार वांसवाडा की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि श्री मुकेश गुर्जर निवासी निचला घंटाला तहसील व जिला बांसवाडा द्वारा घन्टालेश्वर महादेव मंदिर की जमीन को मंदिर के नाम करने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक रिडर/ 2022/ 1192 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र की नियमानुसार जांच कर ग्राम निचला घंटाला के खसरा नंबर 399, 403, 400, 401, 405, 410, 421, 840, 844 एवं 848 यदि नियम विरुद्ध हस्तांतरण पाये जाये तो पुनः देवस्थान विभाग के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के पत्रांक रिडर/ 2022/ 1291 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/ 2007/ पार्ट/ 5 दिनांक 12.09.2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रकरण में कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के कार्यालय से प्राप्त उक्त परिवाद की जांच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बांसवाडा एवं पटवारी निचला घंटाला से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक बांसवाडा एवं पटवारी निचला घंटाला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार एवं राजस्व विभाग द्वारा [illegible]पत्र दिनांक 13.12.1991 एवं 12.09.2018 की पालना में ग्राम [illegible] की बन्दोबस्त (सेटलमेंट) जमाबन्दी संवत् 2006 के खाता संख्या 118 में खसरा नंबर 400 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 841 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंबर 844 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नंबर 848 रकबा 1.06 बीघा, कुल किता 4 कुल रकबा 3.16 बीघा भूमि तथा खाता संख्या 119 में खसरा नंबर 401 रकबा 1.08 बीघा भूमि श्री महादेव जी घंटालेश्वरजी (माफी मंदिर) के नाम दर्ज होने से कार्यालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

आदेश क्रमांक भू.अ./ 2022/ 5602–04 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा ग्राम निचला घंटाला के खसरा नंबर 400, 401, 841, 844 एवं 848 को पुनः राजस्व अभिलेख में श्री महादेवजी (माफी मंदिर) के नाम तथा पुजारी/ सेवायत के नाम कम्प्युटराईज्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये है। जिसकी पालना में पटवारी हल्का निचला घंटाला द्वारा ग्राम निचला घंटाला का नामान्तरकरण संख्या 1195 दिनांक 31.10.2022 दर्ज किया गया है जिसे वाद भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। जिसके द्वारा ग्राम निचला घंटाला के खसरा नंबर 400, 401, 841, 844, 848 को पुनः श्री महादेवजी घंटालेश्वरजी (माफी मंदिर) हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज किया गया है। इस प्रकार कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.10.2022 एवं इस आदेश के अनुसार दर्ज किया गया नामांतरकरण संख्या 1195 दिनांक 31.10.2022 विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है।

दिनांक 06.12.2023 को अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सी.पी.सी बाबत् दस्तावेज पेश करने प्रस्तुत हुआ। दिनांक 07.06.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

दिनांक 12.07.2024 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में किसी प्रकार सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जबकि प्रार्थीगण खातेदार कृषक थे उनको सुना जाना आवश्यक था। जब प्रार्थीगण को दिनांक 20.12.2022 को उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 1195 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो आदेश दिनांक 21.10.2022 की जानकारी हुई। जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.01.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 04.01.2023 को प्राप्त होने पर जानकारी हुई। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण न्यायोचित व युक्तियुक्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपील में देरी के लिए विलम्ब माफी फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता [illegible] के [illegible] ने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट्स को प्रश्नगत नामान्तरकरण एवं आदेश की जानकारी भलीभांति थी किन्तु जानबझ कर विलम्ब से यह अपील पेश की गई है। अतः म्याद बिन्दु पर ही अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उपस्थित अधिवक्तागणो की ओर से प्रस्तुत मुल अपील पर बहसी सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मैमो पर प्रस्तुत बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम निचला घंटाला की बंदोबस्त जमाबन्दी संवत् 2006 के खाता संख्या 118 के खसरा नंबर 400 रकबा 1.03 बीघा, सर्वे नंबर 841 रकबा 11 बिस्वा, सर्वे नंबर 844 रकबा 16 बिस्वा, सर्वे नंबर 848 रकबा 1.06 बीघा कुल खेत 4 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का आसामी श्री कचरु वल्द नाथ सेवक दर्ज होना उल्लेखित किया है एवं प्रथम जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 के खाते में श्री कचरु पिता नाथा एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज होना अंकित किया है। जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अपीलांट्स व उनके पूर्वज नियमित खातेदार कृषक रहे है। अपीलांट्स के पूर्वज श्री कचरु पिता नाथा के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि प्रथम जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 में दर्ज सर्वे नंबर 400 रकबा 1.03 बीघा लगान 1.31 रु., सर्वे नं. 564 रकबा 2.01 बीघा लगान 2.44 रु., सर्वे नं. 841 रकबा 11 बिस्वा लगान 0.38 रु., सर्वे नं. 844 रकबा 16 बिस्वा लगान 0.75 रु., सर्वे नं. 848 रकबा 1.06 बीघा लगान 1.25 रु. कुल खेत 5 कुल रकबा 5.17 बीघा कुल लगान 6.13 रु. वाके ग्राम निचला घंटाला तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित होकर कचरु पिता नाथा उस पर काबिज होकर काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 166 दिनांक 30.05.1981 के द्वारा श्री मंशाराम एवं श्री दुर्गाशंकर का नाम बहैसियत खातेदारी में दर्ज हुआ एवं श्री मंशाराम व दुर्गाशंकर की मृत्यु के पश्चात् विरासत में नामान्तरकरण सं. 563 दिनांक 21.06.2004 एवं नामान्तरकरण सं. 638 दिनांक [illegible] के द्वारा अपीलांट का नाम राजस्व अभिलेख में बहैसियत खातेदारी में दर्ज हुआ एवं [illegible] वाद वर्णित कृषि भूमि पर नियमित व निर्बाध रुप से काबिज होकर काश्त कर रहे है व राज्य सरकार में लगान अदा करते चले आ रहे है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में सर्वे नं.400 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, सर्वे नं. 841 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, सर्वे नं. 844 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, सर्वे नं. 848 रकबा 0.2103 हैक्टेयर को बिना किसी विधिक आधार के श्री महादेवजी घण्टालेश्वर माफी मंदिर के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

करने के आदेश दे दिए। राज्य सरकार के परिपत्र 4–3(2) राज.6 / 2007 / 44 दिनांक 24.05. 2007 के अनुसार अपीलांट्स वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक है उन्हे समस्त खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और राजस्व अभिलेख में भी अपीलांट्स व उनके पूर्वजो के नाम बहैसियत खातेदारी में दर्ज है। जिस कारण राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6 / 2007 / पार्ट / 5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि को माफी मंदिर दर्ज करने आदेश दिए जो प्रतिकुल होकर काबिल निरस्तनीय है तथा उक्त आदेश पर नामान्तरकरण संख्या 1195 दिनांक 31.10.2022 अपीलांट्स के हक व अधिकारो के विपरित होकर प्रभाव शून्य व निरस्तनीय है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में किसी प्रकार सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जबकि प्रार्थीगण खातेदार कृषक थे उनको सुना जाना आवश्यक था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश भू.अ / 2022 / 5602–04 दिनांक 21.10.2022 सर्वे नं.400 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, सर्वे नं. 841 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, सर्वे नं. 844 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, सर्वे नं. 848 रकबा 0. 2103 हैक्टेयर वाके ग्राम निचला घंटाला तहसील व जिला बांसवाडा के सम्बन्ध में निरस्त फरमावे एवं उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट्स के खाते में दर्ज करने के आदेश श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार बांसवाडा को प्रदान करे।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक रिडर / 2022 / 1192 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र की नियमानुसार जांच कर ग्राम निचला घंटाला के खसरा नंबर 399, 403, 400, 401, 405, 410, 421, 840, 844 एवं 848 यदि नियम विरुद्ध हस्तांतरण पाये जाये तो पुनः देवस्थान विभाग के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के पत्रांक रिडर / 2022 / 1291 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6 / 2007 / पार्ट / 5 दिनांक 12.09.2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रकरण में कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा [illegible] से प्राप्त उक्त परिवाद की जांच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बांसवाडा [illegible] से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक बांसवाडा एवं पटवारी निचला घंटाला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प–2 (4) राज–4 / 98 / 37 दिनांक 13.12.1991 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6 / 2007 / पार्ट / 5 दिनांक 12.09.2018 की पालना में ग्राम निचला घंटाला प.म. निचला घंटाला की बन्दोबस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

(सेटलमेंट) जमाबन्दी संवत् 2006 के खाता संख्या 118 में खसरा नंबर 400 रकवा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 841 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नंवर 844 रकवा 0.16 वीघा, खसरा नंबर 848 रकबा 1.06 बीघा, कुल किता 4 कुल रकबा 3.16 बीघा भूमि तथा खाता संख्या 119 में खसरा नंबर 401 रकबा 1.08 बीघा भूमि श्री महादेव जी घंटालेश्वरजी (माफी मंदिर) के नाम दर्ज होने से कार्यालय के आदेश क्रमांक भू.अ./ 2022/ 5602–04 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा ग्राम निचला घंटाला के खसरा नंबर 400, 401, 841, 844 एवं 848 को पुनः राजस्व अभिलेख में श्री महादेवजी (माफी मंदिर) के नाम तथा पुजारी/ सेवायत के नाम कम्प्युटराईज्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये है। जिसकी पालना में पटवारी हल्का निचला घंटाला द्वारा ग्राम निचला घंटाला का नामान्तरकरण संख्या 1195 दिनांक 31.10.2022 दर्ज किया गया है जिसे बाद भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। जिसके द्वारा ग्राम निचला घंटाला के खसरा नंबर 400, 401, 841, 844, 848 को पुनः श्री महादेवजी घंटालेश्वरजी (माफी मंदिर) हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज किया गया है। इस प्रकार कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.10.2022 एवं इस आदेश के अनुसार दर्ज किया गया नामांतरकरण संख्या 1195 दिनांक 31.10.2022 विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेंट सं. 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोडेंट सं. 3 के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा द्वारा तहसीलदार बांसवाडा को जांच हेतु जारी निर्देश पर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक बांसवाडा एवं पटवारी हल्का निचला घंटाला से जांच कराने पर ग्राम निचला घंटाला प.म. निचला घंटाला की बन्दोबस्त (सेटलमेंट) जमाबन्दी संवत् 2006 के खाता संख्या 118 में खसरा नंबर 400 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 841 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नंबर 844 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नंबर 848 रकबा 1.06 बीघा, कुल किता 4 कुल रकबा 3.16 बीघा भूमि तथा खाता संख्या 119 में खसरा नंबर 401 रकबा 1.08 बीघा भूमि श्री महादेव जी घंटालेश्वरजी (मा[illegible] के नाम दर्ज होने से तहसीलदार बांसवाडा के आदेश क्रमांक भू.अ./ 2022/ 5602[illegible] 21.10.2022 के द्वारा ग्राम निचला घंटाला के खसरा नंबर 400, 401, 841, 844 [illegible] 848 को पुनः राजस्व अभिलेख में श्री महादेवजी (माफी मंदिर) के नाम तथा पुजारी/ सेवायत के नाम दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये है जो विधि सम्मत है। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प–2 (4) राज–4/ 98/ 37 दिनांक 13.12.1991 के द्वारा मंदिर माफी/ देवमूर्ती की भूमियों के लिये जारी निर्देशानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाए उसमें देवमुर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नही लिखा जाने, पुजारियो के लिए एक रजिस्टर अलग से रखा जाने तथा जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उसमें देवमुर्ति के साथ जहां पुजारी का नाम विलोपित करने के निर्देश जारी किये थे। उक्त निर्देशो की सही क्रियान्विति नही करने या गलत व्याव्या करने के कारण मंदिर माफी की भूमियों के संवंध में राज्य सरकार के ध्यान में समस्याऐं आने पर राजस्व विभाग द्वारा पुनः परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/ 2007/ पार्ट/ 5 दिनांक 12.09.2018 जारी कर निर्देश दिए है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कथन की प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा है के सम्बन्ध में मंदिर मुर्ति की भूमि पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा है या काश्त करता है तो वह मंदिर द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को मंदिर मुर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3/(2) राज–6 /2007/ पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 व परिपत्र क्रमांक प–2 (4) राज–4/ 98/ 37 दिनांक 13.12.1991 की पालना में ग्राम निचला घंटाला के सर्वे नं. 400, 401, 841, 844, 848 वाके ग्राम निचला घंटाला तहसील व जिला बांसवाडा को श्री महादेवजी घंटालेश्वर (माफी मंदिर) के नाम दर्ज करने आदेश पारित किए है व उक्त आदेश अनुसार नामांतरकरण संख्या 1195 दिनांक 31.10.2022 विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट सं. 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने कथन के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए –

2020 (2) आरआरटी. 825 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) राज्य बनाम जोधपुरी

2019 (2) आरआरटी 1448 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) राज्य बनाम रामु

2019 (2) आरआरटी 1089 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) राज्य बनाम लक्ष्मीनारायण

2022–23 (Supp.) आरआरटी 374 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) राज्य बनाम रघुवीर प्रसाद शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। ग्राम निचला घंटाला प.म. निचला घंटाला की बन्दोबस्त (सेटलमेंट) जमाबन्दी संवत् 2006 के खाता संख्या 118 में खसरा नंबर 400 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 841 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नंबर 844 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नंबर 848

रकबा 1.06 बीघा, कुल किता 4 कुल रकबा 3.16 बीघा भूमि श्री महादेव जी घंटालेश्वरजी (माफी मंदिर) के नाम दर्ज है एवं आसामी का नाम कचरु वल्द नाथा सेवक दर्ज है तथा खाता संख्या 119 में खसरा नंबर 401 रकबा 1.08 बीघा भूमि श्री महादेव जी घंटालेश्वरजी (माफी मंदिर) के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं आसामी का नाम देवनाथ वल्द कोदर सेवक दर्ज है किन्तु प्रारम्भिक जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 में खसरा नंबर 400, 841, 844, एवं 848 श्री कचरु पिता नाथा सेवक सा. देह एवं खसरा नंबर 401 श्री नाथूलाल, गेबीलाल, सुखलाल पिता देवनाथ सेवक सा. देह के नाम से दर्ज हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–77 में खसरा नं. 400, 841, 844 एवं 848 कोदरी पत्नि दुर्गाशंकर, लक्ष्मी पत्नी मंशाराम एवं लक्ष्मी पुत्री दुर्गाशंकर सेवक के नाम तथा खसरा नं. 401 ओमीया पत्नी स्व.सुखलाल, दिनेश, मुकेश, लाला, रमीला पिता सुखलाल, कालु, भरत, मगन, माधवलाल पिता नाथुलाल एवं हरपार्वती पत्नी स्व. नाथुलाल तथा गेबीलाल पुत्र देवनाथ जाति सेवक के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ है।

अतः तहसीलदार बांसवाडा द्वारा राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3/(2) राज–6 /2007/ पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 की पालना में ग्राम निचला घंटाला के आराजी सर्वे नंबर 400, 401, 841, 844 एवं 848 जो पूर्व सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2006 में श्री महादेवजी घन्टालेश्वरजी (माफी मंदिर) के नाम दर्ज था को पुनः राजस्व रेकार्ड में श्री महादेवजी घन्टालेश्वरजी (माफी मंदिर) के नाम दर्ज करने जारी आदेश भू.अ. /2022/ 5602–04 दिनांक 21.10.2022 एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 1195 दिनांक 31.10.2022 दर्ज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08/08/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested